न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 38/2020 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाड़ा **बनाम** 1. राजू पिता कुका रेगर निवासी थडौदा तहसील बिजौलिया

—प्रार्थी —विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित –

1. श्री दिनेश चन्द्र तिवाडी राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री जगदीश चन्द्र विजयवर्गीय अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 09.12.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम मानपुरा तहसील बिजौलिया की आ.न. 665/401 रकबा 1.05 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 30.07.2019 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। जिला कलक्टर महोदय के आदेश कमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 05.08.2020 को देने हेतु सूचित किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम मानपुरा तहसील बिजौलिया की आ.न. 665/401 रकबा 1.05 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी को वादग्रस्त आराजियात का आवंटन नियमानुसार हुआ हैं तथा गैर खातेदारी हक से दर्ज हुयी हैं, किन्तु उक्त आराजियात को नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जाने चाहिये थे। क्योंकि अप्रार्थी उक्त भूमि का कानूनी रूप से खातेदार हो चुका हैं, क्योंकि अप्रार्थी ने आवंटन शर्तों की पालना की हैं एवं नियमानुसार 10 वर्ष की अवधि पश्चात् स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जाने का प्रावधान व निर्देश हैं। अप्रार्थी का मौके पर कब्जा व काश्त आवंटी का प्रारम्भ से ही हैं। आवंटी सद्भावी कृषक है। नियमानुसार पुराने आवंटन निरस्तीकरण केवल त्रुटिपूर्ण, अवैधानिक आदेश व गलत तथ्य प्रस्तुत कर तथ्यों को छिपाते हुए मिथ्या व्यपदेशन कर या आवंटन की पात्रता आवंटी को प्राप्त न होकर आवंटन करवाया गया हो, तब ही आवंटन निरस्त किये जाने के प्रावधान हैं। इस प्रकरण में आवंटन के त्रुटिपूर्ण या अवैधानिक होने के तथ्य को वर्णित नहीं किया गया है। प्रकरण में पूर्व मे न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा चुका हैं, जिससे यह प्रकरण रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त के मध्येनजर खारिज योग्य हैं। निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान कराये जाने का आदेश कराया जाये। विपक्षी अधिवक्ता ने मा. न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या अपील/एलआर/5448/2010/भीलवाडा उनवान नारायण रेगर बनाम सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाडा के निर्णय दिनांक 22.07.2019 का भी दौराने बहस उल्लेख किया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि ग्राम मानपुरा तहसील बिजौलिया की आ.न. 665/401 रकबा 1.05 बीघा भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं हैं। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नही की गयी है। अप्रार्थी स्वयं ने भी आवंटित भूमि पर कब्जा होने संबंधी कोई पुष्ट साक्ष्य पेश नही किया हैं, न ही आवंटन के प्रथम 03 वर्ष में विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना कर आवंटनशुदा भूमि पर काश्त की गयी हो, इस प्रकार का कोई प्रमाणिक दस्तावेज विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

विपक्षी अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया कि प्रकरण की विषय वस्तु पर पूर्व में मा. न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा के प्रकरण संख्या 75/2014 में निर्णय

दिनांक 11.02.2015 को निर्णय पारित किया जा चुका था, तो तहसीलदार बिजौलिया को उसी विषय वस्तु पर दौबारा प्रकरण दर्ज कराने की आवश्यकता नही थी। इस प्रकार प्रकरण में रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता हैं।

विपक्षी अधिवक्ता के दौराने बहस कथन अनुसार प्रकरण में रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त इसलिये लागू नही होता हैं कि पूर्व प्रकरण संख्या 75/2014 एवं वर्तमान प्रकरण की विषय वस्तु एवं उभयपक्षकरान् भिन्न – भिन्न हैं। पूर्व प्रकरण में पक्षकार भिन्न भिन्न थे, जबकि इस प्रकरण में सरकार जरिये तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कराया गया। पूर्व प्रकरण में प्रार्थीगण पक्षकार द्वारा प्रकरण को नोट प्रेस कराये जाने से प्रकरण का निस्तारण दिनांक 11.02.2015 को किया गया, न कि गुणावगुण पर किया गया। इस प्रकार विपक्षी अधिवक्ता का यह कथन कि प्रकरण में रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता हैं, सरासर गलत ठहरता हैं।

इसी प्रकार विपक्षी द्वारा मा. न्यायालय राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या अपील/एलआर/5448/ 2010/भीलवाडा में पारित निर्णय की प्रक्रिया भी इस प्रकरण पर लागू नही होता हैं। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं की जाना प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम मानपुरा तहसील बिजौलिया की आ.न. 665/401 रकबा 1.05 बीघा भूमि आवंटन को खारिज किया जाता हैं एवं तहसीलदार बिजौलिया को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम मानपुरा तहसील बिजौलिया की आ.न. 665/401 रकबा 1.05 बीघा भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजौलिया को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा